Dr. Kumari Priyanka

History department

HD Jain college, ara

Notes for B.A part 3 , paper 6

Topic:– बंगाल में द्वैध शासन (Dyarchy in Bengal

क्लाईव ने बंगाल में जो व्यवस्था कायम की वह दोहरा शासन या द्वैध शासन के नाम से विख्यात है। इस व्यवस्था के अनुसार, "क्लाईव ने यह योजना बनाई कि विदेशी व्यापार-नीति एवं विदेशी व्यापार का प्रबंध तो कंपनी अपने हाथ में ले ले तथा लगान वसूलने एवं न्याय के लिए भारतीय पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाए।" इस नीति के द्वारा क्लाईव ने चालाकी से दीवानी संबंधी कामों का जिम्मा कंपनी के नियंत्रण में भारतीय पदाधिकारियों को सौंप दिया। लगान वसूलने के लिए दो नायब-नाजिम नियुक्त किए गए। मुहम्मद रजा खाँ बंगाल के और सिताब राय बिहार के नाजिम बने। इनके केंद्रीय दफ्तर क्रमशः मुर्शिदाबाद और पटना में खुले। वसूल किए गए लगान से 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल सम्राट को एवं 53 लाख रुपए नवाब को मिलना था। नवाब के जिम्मे अब सिर्फ फौजदारी संबंधी काम छोड़े गए। इस काम में होनेवाला खर्च उसे कंपनी से ही मिलना था। सेना के लिए भी उसे कंपनी पर ही आश्रित रहना पड़ा। नवाब पर नियंत्रण रखने के लिए मुहम्मद रजा खाँ को ही दीवान के पद पर नियुक्त किया गया जो अँग्रेज़ों का विश्वासपात्र था। इस प्रकार, बंगाल में दोहरी व्यवस्था लागू हुई- कंपनी एवं नवाब की। सरकार और दत्त के अनुसार, "यह दोहरी प्रथा कंपनी की उत्तरदायित्व नहीं ग्रहण करने की इच्छा का फल था। इस व्यवस्था के अनुसार, धन पर कंपनी का पूरा अधिकार हो गया, किंतु प्रजा के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रहा। दूसरी तरफ, नवाब के पास न तो धन था न ही सेना, फिर भी प्रजा का उत्तरदायित्व उसी पर था। यह व्यवस्था 1772 ई० तक वारेन हेस्टिंग्स के आने तक चलती रही।द्वैध शासन से लाभ-बंगाल में लागू की गई द्वैध व्यवस्था अँग्रेज़ों के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हुई। इसके द्वारा वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में चली आई। अंग्रेज अब सच्चे अर्थों में व्यापारी से शासक बन चुके थे। इस व्यवस्था के द्वारा बिना किसी भारतीय शक्ति को नाराज किए या जनमानस को उद्वेलित किए कंपनी के हाथों में सारी शक्तियाँ आ गई। इसके चलते विदेशी व्यापारिक कंपनियाँ, जो बंगाल में व्यापार करती थीं, उनसे भी बिना किसी विशेष कठिनाई के कंपनी को आमदनी होने लगी, क्योंकि वे कर नवाब को देती थी, कंपनी को नहीं। यह अलग बात है कि नवाब नाममात्र ही इस धन का उपयोग करता था। वास्तविक उपभोक्ता अँग्रेज़ी कंपनी ही थी। कंपनी के पास इस समय वैसे योग्य पदाधिकारियों का सर्वथा अभाव था जो बंगाल की लगान-व्यवस्था सँभाल सकते। अतः, क्लाईव ने भारतीय

पदाधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर अपना हित साधा। इससे कंपनी के खर्च में भी कमी हुई। कंपनी को आर्थिक लाभ भी बहुत अधिक हुए। संक्षेप में, इस व्यवस्था के द्वारा क्लाईव ने अँग्रेज़ी हितों की रक्षा की।

द्वैध शासन के दोष-जहाँ दोहरी व्यवस्था कंपनी के लिए प्रारंभ में लाभदायक सिद्ध हुई, वहीं बंगाल पर और अंततः कंपनी पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा। 1767 ई० में क्लाईव के वापस लौटने के पश्चात् इस प्रथा के दोष पूरी तरह उभरकर सामने आए। कंपनी के अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सके। फलस्वरूप प्रशासनिक ढाँचा लड़खड़ा गया। कर्मचारियों की मनमानियाँ एवं अत्याचार बढ़ गए, उद्योग-धंधे नष्ट हो गए, व्यापार को क्षति पहुँची तथा जनता को असहनीय कष्ट भोगना पड़ा। कंपनी के एक कर्मचारी रिचर्ड बेचर ने अपने एक पत्र में 24 मई, 1769 को सिलेक्ट कमिटी से शिकायत की कि "जिस अँग्रेज़ के पास विवेक है उसे यह सोचकर अवश्य दुःख होगा कि कंपनी को दीवानी मिलने के समय से इस देश के लोगों की दशा पहले से बुरी है और इसमें भी मुझे डर है कि बात निःसंदेह ठीक है.... यह सुंदर देश जो अत्यंत निरंकुश और स्वेच्छाचारी सरकार के अधीन भी समृद्ध था, अपने विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित दुष्परिणाम निकले -

अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का पृथक्करण - द्वैध शासन प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इस व्यवस्था के द्वारा कंपनी को सिर्फ अधिकार मिले; उसने अपने ऊपर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं किया। उसका काम सिर्फ लगान वसूल करवाना था, प्रशासनिक जवाबदेही नहीं थी। दूसरी तरफ, बंगाल के नवाब के अधिकार शून्य थे, परंतु सारी प्रशासनिक जवाबदेही उसी के ऊपर थोप दी गई। उसके हाथ में न तो धन था और न ही सैनिक शक्ति। इन दोनों के लिए उसे कंपनी पर ही आश्रित रहने को मजबूर कर दिया गया था। अतः, इच्छा रहने पर भी वह प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु ढंग से चलाने और जनता को राहत पहुँचाने में असमर्थ था। इसलिए, उसने भी शासन में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। परिणामस्वरूप, जनता कंपनी और नवाब के कर्मचारियों के बीच बुरी तरह फंस गई। उसकी तरफ ध्यान देनेवाला कोई नहीं था।

प्रशासनिक अव्यवस्था - ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण बंगाल में प्रशासनिक अव्यवस्था व्यापक हो गई। कानून और व्यवस्था लगभग ठप पड़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकुओं तथा संन्यासी छापामारों के चलते अराजकता व्याप्त हो गई। सरकार नाममात्र के लिए रह गई। न्याय एवं पुलिस प्रशासन बिल्कुल नष्ट हो गया। कंपनी एवं नवाब दोनों के ही कर्मचारी भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन होकर जनता पर मानमाना अत्याचार करने लगे। इस भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने में द्वैध शासन-व्यवस्था काफी हद तक जिम्मेदार थी।

आर्थिक अव्यवस्था-वैध शासन-व्यवस्था से कंपनी के भू-राजस्व में वृद्धि हुई।उदाहरणस्वरूप, जहाँ बंगाल में दीवानी मिलने से पहले वार्षिक भू-राजस्व करीब 8 लाख रुपए प्राप्त होता था वहीं 1766-67 में यह रकम बढ़कर करीब 22 लाख रुपए हो गई। निःसंदेह, इस व्यवस्था से कंपनी की आय में वृद्धि हुई, परन्तु लगान-व्यवस्था कष्टप्रद बन गई। अब लगान वसूलने का काम पुराने जमींदारों से छीनकर अधिक-

से-अधिक लगान वसूल करनेवाले ठेकेदारों को दिया जाने लगा। ऐसे व्यक्तियों का एकमात्र उद्देश्य अधिक-से-अधिक लगान वसूल करना था, कृषकों की कठिनाइयों से उनकी कोई भी सहानुभूति नहीं थी। उपज बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन प्रत्येक वर्ष लगान की राशि बढ़ती चली गई। तंग आकर कृषकों ने खेती करनी छोड़ दी और खेत छोड़कर भाग खड़े हुए। अनेक किसान डाकू बन गए। जो बचे भी उनपर लगान वसूलनेवाले कर्मचारी मनमाना अत्याचार करते थे। लगान इतनी कड़ाई से वसूल होता था कि अनेक किसानों ने अपने बच्चों को बेचकर लगान चुकाया। स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में किसानों की खेती में दिलचस्पी कम हो गई। 1770 ई के भीषण दुर्भिक्ष ने लोगों की अवस्था और भी बुरी कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 'कुछ प्रदेशों में लोगों ने मृतकों को खाया।' कंपनी या नवाब की तरफ से जनता की सहायता का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसके ठीक विपरीत कंपनी के कर्मचारियों ने वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर ज्यादा लाभ कमाया। इन सबका आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। खेती कम होने से कंपनी की आय में भी गिरावट आई।

वाणिज्य-व्यापार का ह्रास- आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति, कृषि के चौपट होने, पैदावार कम होने से व्यापार-वाणिज्य की भी बुरी अवस्था हो गई। 1717 ई के शाही फरमान द्वाराप्राप्त आशा के अनुसार कंपनी बंगाल में बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार करती थी। व्यापार पर कंपनी का ही एकाधिकार था। इसे बनाए रखने के लिए कंपनी के कर्मचारी कम मूल्य पर सामान बेचते थे। इससे देशी व्यापारियों को बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ा। इससे अनेक व्यापारी निर्धन हो गए। दूसरी तरफ, कंपनी के कर्मचारियों की व्यक्तिगत आय में तो वृद्धि हुई: परंतु कंपनी को बहुत अधिक घाटा हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति डावांडोल हो गई और वह दिवालिएपन की स्थिति में पहुँच गई।

उद्योग-धंधों का नष्ट होना - द्वैध शासन प्रणाली ने बंगाल के उद्योग-धंधों को भी नष्ट कर दिया। इस व्यवस्था के लागू होने से पहले सूती एवं रेशमी वस्त्र, चीनी, नील, शोरा और नमक का बहुत अच्छा उद्योग था, परंतु 1765 ई० के पश्चात इनमें गिरावट आने लगी। कंपनी ने बंगाल के वस्त्र-उद्योग को जान-बूझकर बरबाद कर दिया ताकि इंगलैंड का वस्त्र-व्यापार भारत में पनप सके। 1769 ई० में कंपनी के संचालकों ने कच्चे सिल्क के उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र तैयार करने के उद्योग को निरुत्साहित करने का निर्देश दिया। देशी कारीगरों को इतना परेशान किया गया कि अधिकांश व्यवसाय छोड़कर कृषक, मजदूर, संन्यासी या डाकू बन गए। कंपनी के उत्पीड़न से बचने के लिए अनेक जुलाहों ने अपने अँगूठे भी कटवा लिए, ताकि उन्हें कंपनी के लिए वस्त्र तैयार नहीं करना पड़े। जो कंपनी के लिए काम करते भी थे उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती थी कि काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती थी। इस अवस्था का वर्णन एक समकालीन कर्मचारी (कंपनी का) ने इन शब्दों में किया है, "इस विभाग की धूर्तता तथा कपट सीमा से परे है। भारतीय गुमाश्ते तथा निरीक्षण करनेवाले माल का मूल्य बाजार के मूल्य से 15% से 40% तक कम आँकते हैं।" ऐसी परिस्थिति में कृषि-वाणिज्य की तरह व्यवसाय एवं उद्योग-धंधे भी नष्ट हो गए।इसीलिए प्रकार, द्वैध शासन प्रणाली कंपनी, नवाब एवं देशी जनता तीनों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इसने प्रशासनिक अव्यवस्था ला दी। कृषि, उद्योग एवं व्यापार को चौपट कर दिया। अब अराजकता, अत्याचार, भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी आदि का राज्य स्थापित हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अब से "बंगाली

समाज का नैतिक पतन भी आरंभ हो गया था।..... कार्य की प्रेरणा समाप्त हो गई तथा समाज निर्जीव हो गया तथा उसमें सड़ने के लक्षण प्रत्यक्ष दीखने लगे।"